

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0

जिला ग्वालियर

प. क्र. निगरानी/अध्यक्ष/

/2014

R 3169-PBR/14

श्रीमती रेवतीरजक पत्नी श्रीगनपत राजक
निवासी हथियापौर झॉसीगंज ग्वा0.....प्रार्थिनी

श्री *अशोक श्रीवास्तव, कर्मि*
द्वारा आज दि. 18. 9. 14 को
प्रस्तुत

कलकौ
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
5.15.PM

- बनाम श्रीमती *अशोक श्रीवास्तव, कर्मि*
श्रीमती रेवतीरजक पत्नी श्रीगनपत राजक
नि. झॉसीगंज ग्वालियर प्रतिप्रार्थी
1. जगनारायण शर्मा पुत्र श्री के0डी0शर्मा द्वारा मुख्यार आम सुरेन्द्रराय शर्मा पुत्र श्री के0डी0शर्मा निवासी 51 रविनगर ग्वालियर
 2. श्री सोहन सिंह
 3. श्री बलवंतसिंह
 4. श्री सोबरनसिंह
 5. श्री पोखनसिंह पुत्रगण स्व0श्री चिम्मनसिंह
 6. हरप्रसाद पुत्र श्री हरगोविन्द्र
 7. बल्लू पुत्र हरप्रसाद
 8. कुबेर पुत्र श्री हरप्रसाद
 9. नामालुम पुत्र हरप्रसाद समस्त निवासीगण सत्यनारायण मौहल्ला झॉसीरोड ग्वालियर म0प्र0
 10.फॉर्मल प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक /2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांकी 23.05.2014 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

18/09/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 3169-पीबीआर/14

जिला ग्वालियर

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश


पक्षकारों
एवं
अभिभाषकों
आदि के
हस्ताक्षर

5-12-2014

आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23-5-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि श्रीमती कृष्णा मेहदीरता से दिनांक 28-5-2010 को क्रय की गई है । उक्त दिनांक को विक्रेता प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी न होकर श्रीमती अंजली/उमा जैन का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था । इसके अतिरिक्त दिनांक 25-5-2010 से 15-4-2011 तक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहा, परन्तु आवेदिका द्वारा उनके समक्ष पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन पेश नहीं किया गया और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण होने के उपरान्त इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई

fn

अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी
आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।


(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

